राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

आबकारी विभाग
2018-19

प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2018–2019 (दिसम्बर 2018 तक)

अनुक्रमणिका

क्र.स.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	01
2	विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा	01 – 02
3	विभाग मे स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण	02 – 04
4	प्रमुख विभागीय कार्य-प्राप्त उपलब्धियां एवं तुलनात्मक स्थिति –	
	➢ आबकारी निरोधक दल	04 – 05
	➢ आबकारी राजस्व	05 – 06
	➢ मद्य-संयम (टेम्परेन्स) कार्यक्रम	06 – 07
	➢ आबकारी राजस्व संग्रहण पर प्रशासनिक व्यय	08
	➢ आबकारी नीति 2018 – 19	08
	➢ अन्य प्रमुख बिन्दु	08– 09
	➢ आबकारी कर ढ़ांचे को सुसंगत एवं विवेकीकृत किया जाना	09– 10
	➢ उत्पादन एवं विपणन इकाईयां, बार अनुज्ञापत्र	11
	➢ विभिन्न आबकारी पदार्थो का उठाव/निर्गम	11
	➢ न्यायिक प्रकरणों की स्थिति	12
5	विशेष पहल, उपलब्धियां एवं नवाचार	13 – 14
6	सारांश	15
7	महत्वपूर्ण विभागीय दूरभाष नम्बर	16 – 18

राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग
प्रशासनिक प्रतिवेदन – वर्ष 2018–2019

1. प्रस्तावना :–

1.1 मादक पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय की प्रक्रिया पर राज्य सरकार का नियन्त्रण है। आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एवं मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन एवं व्यवसाय पर कठोर नियंत्रण रखते हुए उपभोक्ता को गुणवत्तायुक्त मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराने के साथ–साथ समुचित राजस्व अर्जित करना है। राज्य की राजस्व आय में आबकारी विभाग का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में राज्य की सम्पूर्ण कर–राजस्व प्राप्तियों में आबकारी विभाग का योगदान लगभग 16.00 प्रतिशत होकर यह द्वितीय स्थान पर है।

1.2 आबकारी विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी नीति के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्पादित करवाकर राज्य की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा आबकारी नीति मुख्यतः निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है :–

1.2.1 मदिरा व्यवसाय का वैधानिक प्रक्रिया के अन्तर्गत संचालन एवं राज्य की राजस्व आय को दृष्टिगत रखते हुए व्यवहारिक नीति का निर्धारण।

1.2.2 अवैध एवं घातक मादक पदार्थों पर प्रभावी नियंत्रण ।

1.2.3 मद्यसंयम (टेम्परेंस) की नीति को प्रभावी रूप से लागू करना।

2. विभाग का संगठनात्मक ढांचा :–

2.1 राजस्थान में आबकारी विभाग का मुख्यालय उदयपुर में अवस्थित होकर आबकारी आयुक्त इसके विभागाध्यक्ष है। आबकारी आयुक्त को प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने हेतु आबकारी मुख्यालय पर निम्नानुसार अधिकारीगण पदस्थापित हैः–

राजस्थान प्रशासनिक सेवा		राजस्थान लेखा सेवा		राजस्थान विधि सेवा		राजस्थान आबकारी सेवा		राजस्थान सुचना प्रोद्यौगिकी एवं संचार सेवा	
क्र.सं.	पद नाम	क्र. सं.	पद नाम	क्र. सं.	पद नाम	क्र. सं.	पद नाम	क्र. सं.	पद नाम
1	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	1	वित्तीय सलाहकार	1	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	1	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि)	1	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)
2	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति)	2	उप वित्तीय सलाहकार	2	संयुक्त विधि परामर्शी	2	उपायुक्त आबकारी निरोधक दल	2	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)
3		3	लेखाधिकारी संस्थापन	3	उप विधि परामर्शी	3	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	3	प्रोग्रामर
			लेखाधिकारी बजट	4	वरिष्ठ विधि अधिकारी (निरोधक दल)	4	रासायनिक परीक्षक आबकारी प्रयोगशाला	4	सहायक प्रोग्रामर
			लेखाधिकारी निरीक्षण						
		4	सहायक लेखाधिकारी प्रथम			5	सहायक रासायनिक परीक्षक आबकारी प्रयोगशाला		

2.2 विभागीय कार्यकलापों के प्रभावी नियन्त्रण हेतु आबकारी प्रशासन एवं निरोधक दल के आंतरिक प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हेतु सात अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोन के अधीन निम्नांकित आबकारी/राजस्व जिले सम्मिलित कर किया हुआ है :–

अजमेर जोन :– अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक।

जयपुर जोन :– अलवर, उत्पादन इकाईयां बहरोड़(अलवर), दौसा, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), झुन्झुनू एवं सीकर।

जोधपुर जोन :– जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली एवं सिरोही।

कोटा जोन :– कोटा, बारां, बून्दी, एवं झालावाड़।

बीकानेर जोन :– बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़।

उदयपुर जोन :– चितौडगढ़, बॉसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द, उदयपुर एवं प्रतापगढ़।

भरतपुर जोन :– भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, एवं करौली।

3. विभाग में स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण (दिनांक 31.12.2018 की स्थिति):-

क्र.सं.	पद का नाम	वेतन श्रृंखला		स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
		पे-बेण्ड	ग्रेड-पे			
1	आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर (IAS)	(24)37,400–67,000	10000	01	01	–
2	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (प्रशासन) (RAS)	(23ए)37,400–67,000	9,500	01	01	–
3	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (नीति) (RAS)	(23ए)37,400–67,000	9,500	01	–	01
4	अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, (RAS)	(23ए)37,400–67,000	9,500	06	04	02
5	वित्तीय सलाहकार	(23ए)37,400–67,000	9,500	01	01	–
6	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	(22)37,400–67,000	8,700	01	01	–
7	संयुक्त विधि परामर्शी	(21)15,600–39,100	8,200	01	01	–
8	उप वित्तीय सलाहकार	(20)15,600–39,100	7,600	01	01	–
9	**राजस्थान आबकारी सेवा**					
	(I) संयुक्त आबकारी आयुक्त, नि0 दल	(20)15,600–39,100	7,600	01	–	01
	(II) अतिरिक्त आबकारी आयुक्त (विधि)	(20)15,600–39,100	7,600	01	–	01
	(III) अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन, भरतपुर	(20)15,600–39,100	7,600	01	01	–
	(IV) उपायुक्त, आबकारी मुख्यालय	(17)15,600–39,100	6,600	04	03	01
	(V) उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल	(17)15,600–39,100	6,600	01	–	01
10	**जिला आबकारी अधिकारी (कुल 40 पद)**					
	(I) जिला आबकारी अधिकारी RAS	(17)15,600–39,100	6,600	08	07	01
	(II) जिला आबकारी अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) राजस्थान आबकारी सेवा	(17)15,600–39,100	6,600	03	02	01
	(III) जिला आबकारी अधिकारी (सामान्य वेतनमान) राजस्थान आबकारी सेवा	(16)15,600–39,100	6,000	29	25	04

11	आबकारी अधिकारी, निरोधक दल राजस्थान आबकारी सेवा	(16)15,600—39,100	6,000	09	06	03
12	सहायक आबकारी अधिकारी, नि.दल राजस्थान आबकारी सेवा	(13)9,300—34,800	4,800	34	13	21
13	सहायक आबकारी अधिकारी (सामान्य शाखा) राजस्थान आबकारी सेवा	(13)9,300—34,800	4,800	51	37	14
14	सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक)	(18)15,600—39,100	7,200	01	01	—
15	एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामार (उप निदेशक)	(17)15,600—39,100	6,600	02	02	—
16	उप विधि परामर्शी	(16)15,600—39,100	7,200	01	—	01
17	रासायनिक परीक्षक	(16)15,600—39,100	6,600	01	—	01
18	सहायक रासायनिक परीक्षक	(15)15,600—39,100	5,400	06	04	02
19	वरिष्ठ लेखाधिकारी (पद निरोधक दल हेतु स्वीकृत है)	(15)15,600—39,100	6,600	01	01	—
20	लेखाधिकारी	(15)15,600—39,100	5,400	03	03	—
21	सहायक लेखाधिकारी प्रथम श्रेणी	(13) 9,300—34,800	4,800	08	06	02
22	वरिष्ठ विधि अधिकारी (एक पद निरोधक दल हेतु स्वीकृत है)	(13) 9,300—34,800	4,800	03	02	01
23	प्रोग्रामर	(13) 9,300—34,800	4,800	02	02	—
	आबकारी अधीनस्थ सेवा					
24	आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी	(11) 9,300—34,800	4,200	49	22	27
25	आबकारी निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी	(10) 9,300—34,800	3,600	116	93	23
26	प्रहराधिकारी, प्रथम श्रेणी	(12) 9,300—34,800	4,200	72	30	42
27	प्रहराधिकारी, द्वितीय श्रेणी	(11) 9,300—34,800	3,600	141	75	66
28	रासायनिक सहायक	(11) 9,300—34,800	3,600	08	06	02
29	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय श्रेणी (दस पद निरोधक दल हेतु स्वीकृत है)	(12) 9,300—34,800	4,200	50	38	12
30	कनिष्ठ लेखाकार	(11) 9,300—34,800	3,600	13	11	02
31	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	(11) 9,300—34,800	4,200	01	01	—
32	सहायक प्रोग्रामर	(11) 9,300—34,800	4,200	04	04	—
33	सूचना सहायक	(9) 5,200—20,200	2,800	35	28	07
34	प्रयोगशाला सहायक	(9) 5,200—20,200	2,800	02	00	02
35	आर्मर	(6) 5,200—20,200	2,400	01	01	—
36	जमादार, प्रथम श्रेणी	(7) 5,200—20,200	2,400	100	100	—
37	जमादार, द्वितीय श्रेणी	(6) 5,200—20,200	2,400	206	166	40
38	वाहन चालक (निरोधक दल सहित)	(6) 5,200—20,200	2,400	63	28	35
39	इलेक्ट्रीशियन	(6) 5,200—20,200	2,400	01	01	—
40	सिपाही	(4) 5,200—20,200	1,900	2533	1423	1110

	मंत्रालयिक सेवा					
41	निजी सचिव	(16)15,600—39,100	6,000	01	01	—
42	संस्थापन अधिकारी	(16)15,600—39,100	6,000	01	—	01
43	अतिरिक्त निजी सचिव	(13) 9,300—34,800	4,800	01	01	—
44	निजी सहायक	(12) 9,300—34,800	4,200	03	03	—
45	आशुलिपिक	(11) 9,300—34,800	3,600	12	09	03
46	प्रशासनिक अधिकारी	(14) 9,300—34,800	4,800	03	01	02
47	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	(12) 9,300—34,800	4,200	24	18	06
48	सहायक कार्यालय अधीक्षक	(11) 9,300—34,800	3,600	79	75	04
49	लिपिक ग्रेड प्रथम (वरिष्ठ लिपिक)	(9) 5,200—20,200	2,800	153	105	48
50	लिपिक ग्रेड द्वितीय (कनिष्ठ लिपिक)	(6) 5,200—20,200	2,400	231	187	44
	चतुर्थ श्रेणी सेवा					
51	आबकारी गार्ड / जमादार / चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	(3) 4,750—7,440	1,750	482	331	151
		(2) 4,750—7,440	1,700			
		(1) 4,750—7,440				
52	प्रयोगशाला परिचारक	(2) 4,750—7,440	1,700	11	01	10
53	लांगरी	(3) 4,750—7,440	1,750	17	14	03
54	अन्य पद (संविदा सेवा से भरने हेतु)					
	(I) कम्प्यूटर ओपरेटर	—	—	148	148	—
	(II) लांगरी	—	—	184	141	43

4. प्रमुख विभागीय कार्य–प्राप्त उपलब्धियां एवं तुलनात्मक स्थिति :–

4.1 आबकारी निरोधक दल

4.1.1. अवैध एवं घातक मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु कार्यवाही –

राज्य मे मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, विक्रय, संग्रहण (भण्डारण) एवं परिवहन पर प्रभावी अंकुश एवं नियंत्रण रखने के लिए विभाग में आबकारी निरोधक दल शाखा कार्यरत है। राज्य भर में निरोधात्मक कार्यवाहियों का निर्देशन एवं संचालन करने हेतु अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, संयुक्त आबकारी आयुक्त, निरोधक दल एवं उपायुक्त, आबकारी निरोधक दल के एक–एक पद मुख्यालय पर सृजित किये हुऐ हैं। इनके अधीन 9 आबकारी अधिकारी, आबकारी निरोधक दल जोन, 34 सहायक आबकारी अधिकारी, निरोधक दल एवं 213 प्रहराधिकारियों आबकारी निरोधक दल के पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में 149 निरोधक दल थानें स्वीकृत है। प्रत्येक निरोधक दल थाने में 1 जमादार तथा 10 सिपाहियों / वाहन चालक के पद स्वीकृत हैं तथा प्रत्येक पार्टी को एक वाहन आंवटित है। प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही की दृष्टि से आबकारी निरोधक दल का राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलेरी (R.A.C) की पद्धति पर गठन कर प्रत्येक निरोधक पार्टी को आवश्यकतानुसार हथियार एवं अधिकारियों को रिवाल्वर / पिस्टल आंवटित किये हुए हैं।

4.1.2. विभाग मे कार्यरत आबकारी निरीक्षकों एवं प्रहराधिकारियों के संयुक्त प्रयास से अवैध मादक पदार्थों पर नियंत्रण लगाने हेतु आयोजित आबकारी धावों / विशेष कैम्पेन के द्वारा पिछले 2 वर्षों में एवं वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर, 2018 तक पंजीकृत अभियोग एवं अवैध मादक पदार्थ, वाहनों तथा अन्य जब्त सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	2016—17	2017—18	2018—19 (12 / 2018तक)
1.	दर्ज अभियोगो की संख्या	14448	13814	11447
2.	**जब्त आबकारी पदार्थ (मात्रा बोतलों में)**			
	(1) भा.नि.वि.मदिरा	492887	304629	203992
	(2) देशी मदिरा	93997	89236	109441
	(3) बीयर	219020	41421	22139
	(4) अवैध मदिरा	75937	515298	49260
	वाश (लीटर्स मे)	2620056	1994682	1515613
	स्पिरिट (लीटर्स मे)	57355	29424	2893
	शीरा (मोलासेस) कि0ग्रा0	1540	0	0
	(5) भांग (कि0ग्र0)	541	518	84
	(6) डोडा पोस्त (मात्रा कि0ग्रा0)	59	0.35	341
	(7) अफीम (कि0ग्रा0)	0	0.566	0
	(8) गांजा (कि0ग्रा0)	0	0	0
	(9) चरस	0	0	0
3.	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या	9643	9526	7175
4.	जब्त वाहनो की संख्या	351	316	289

4.2 आबकारी राजस्व :-

4.2.1 आबकारी राजस्व विगत तीन वर्षो में अर्थात 2015—16 में रू. 6712.94 करोड़, वर्ष 2016—17 में रू. 7053.68 करोड़, तथा वर्ष 2017—18 में रू. 7275.83 करोड़, रहा है। इस प्रकार आबकारी राजस्व समग्र राजकीय कर राजस्व का प्रमुख घटक बना हुआ है। इस वित्तीय वर्ष 2018—19 में दिसम्बर, 2018 तक रू. 4911.34 करोड़ (प्रोविजनल) की राजस्व आय प्राप्त हो चुकी हैं।

4.2.2 विगत 03 वर्षों एवं इस वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2018 तक आबकारी राजस्व की स्थिति निम्न प्रकार रही है :—

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (राशि करोड़ रू. में)	वार्षिक प्राप्त राजस्व (राशि करोड़ रू. में)	प्रतिशत वृद्धि (गत वर्ष की तुलना में)
1.	2015—2016	6350.00	6712.94	20.18
2.	2016—2017	7600.00	7053.68	05.08
3.	2017—2018	7800.00	7275.83	03.15
4.	2018—2019 **(दिसम्बर 2018 तक)**	9300.00	4911.34	—

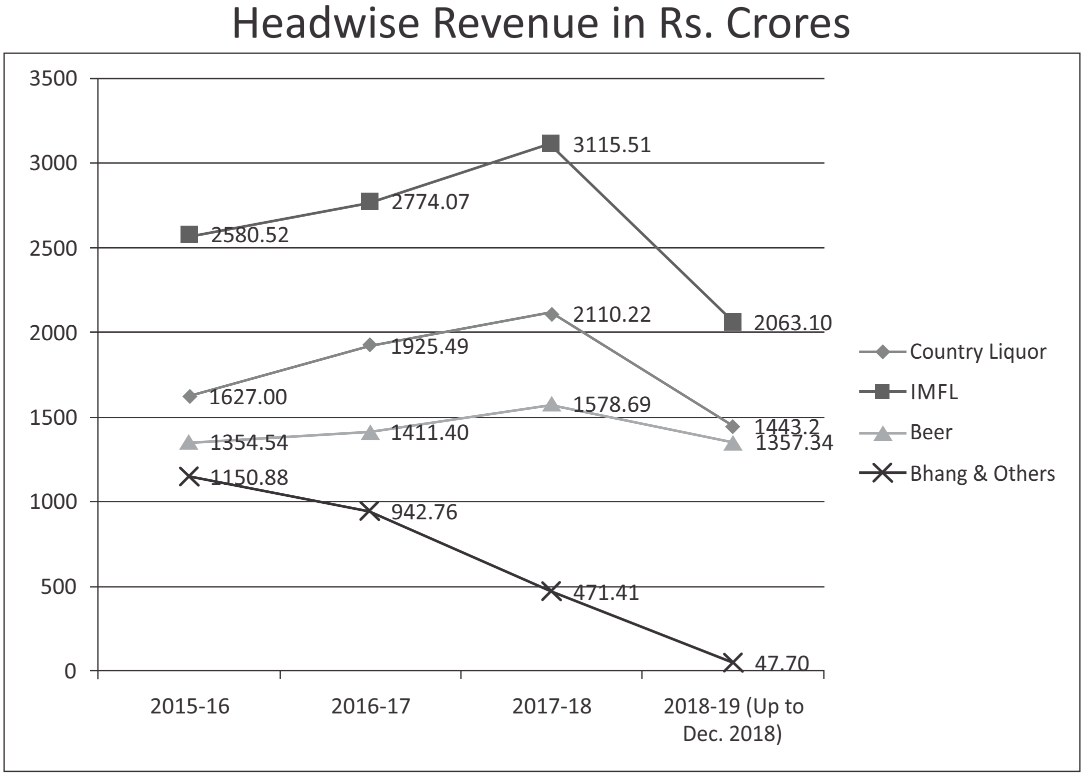

4.3 मद्य-संयम (टेम्परेन्स) कार्यक्रम :-

4.3.1 भारतीय संविधान के अनुच्छेद, 47 में यह प्रावधान है कि राज्य औषधीय उद्देश्य के अलावा नशीले पेय एवं ड्रग्स, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।

4.3.2 राजस्थान में चरणबद्ध रूप से पूर्व में मद्य निषेध लागू किया गया था, लेकिन अनेक कारणों से इसे दिनांक 11.08.1981 से समाप्त कर दिया गया। देश के कुछ अन्य प्रदेशों में भी मद्य निषेध लागू किया गया था, किन्तु वहां पर भी इसका सफल क्रियान्वयन नहीं हो पाया है।

4.3.3. उक्त दृष्टिकोण से राज्य में अन्ततः मद्यसंयम (टेम्परेन्स) कार्यक्रम अपनाने का निर्णय लिया गया। मद्यसंयम कार्यक्रम से अभिप्राय ऐसी नीतियों के निर्धारण एवं ऐसे उपायों के क्रियान्वयन से है, जिनके परिणामस्वरूप मदिरा के उपयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता हो तथा जन साधारण मदिरा का संयत एवं सीमित उपभोग करे ताकि इसके दुष्परिणामों से बचा जा सके। इस संबंध में राज्य में निम्न उपाय किये गये है :–

(क) मदिरा के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने वाले विज्ञापनों, प्रकाशनों तथा समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने हेतु राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम, 77–(B), 77–C एवं 77–CC में आवश्यक प्रावधान किये हुए हैं ताकि प्रचार सामग्री के प्रभाव से साधारण नागरिक मदिरापान की ओर उन्मुख एवं आकर्षित नहीं हो।

(ख) राजस्थान में निर्मित होने वाली देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की प्रत्येक बोतल/पात्र पर "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" को हिन्दी व अंग्रेजी में एक निर्धारित साईज में लिखा जाना अनिवार्य किया गया है।

(ग) वर्ष 2018–19 में विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों के दिन मदिरा के विक्रय पर प्रतिबंध लगाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निम्न दिवसों को शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया गया है :–

1.	गणतंत्र दिवस	(26 जनवरी)
2.	शहीद दिवस	(30 जनवरी)
3.	स्वतंत्रता दिवस	(15 अगस्त)
4.	गांधी जयंती	(02 अक्टूबर)
5.	महावीर जयंती	(तिथि के अनुसार)

(घ) मदिरा दुकानों की अवस्थिति के संबंध में राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम, 75 में ऐसे प्रतिबंधात्मक प्रावधान किये गये हैं जिससे इन दुकानों की अवस्थिति पूजा स्थल, शिक्षण संस्थानों, सभी स्तर के कन्या विद्यालय, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, श्रमिक बस्ती, हरिजन बस्ती एवं राष्ट्रीय / राज्यमार्गो से पर्याप्त दूरी रहे। दुकानों की अवस्थिति स्वीकृत करते समय आबकारी नियमों तथा दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है।

(ड) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 एवं 31.03.2017, 11.07.2017 तथा 23.02.2018 के अनुसार ही राज्य में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो पर निर्धारित न्यूनतम दूरी पर मदिरा दुकानों की स्थिति (लोकेशन) अनुमत की गई है।

4.3.4 वर्ष 2018-19 में मद्य संयम के सम्बन्ध में निम्नांकित नीतिगत निर्देश की क्रियान्विति की गई है :-

(i) नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के दुष्प्रभावों से आम जन को जागरूक किये जाने के लिये जन जागरण अभियान के अन्तर्गत दूरदर्शन, समाचार पत्र, आकाशवाणी एवं अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। उक्त अभियान में आबकारी राजस्व का 0.1 प्रतिशत तक एवं न्यूनतम 10.00 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है।

(ii) देशी मदिरा की दुकानों पर कम एल्कोहल की मात्रा वाली एवं कम हानिकारक किस्में 50 / 60 यूपी तेजी की न्यूनतम 40 प्रतिशत मात्रा विक्रय किया जाना अनिवार्य किया गया है।

(iii) जन साधारण को मदिरा एवं मादक पदार्थो के नशे की प्रवृति से बचाने के लिये 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की नशीले पदार्थो की बिक्री की रोकथाम के लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं।

(iv) मद्य संयम के लिये राज्यस्तरीय समिति तथा राजन समिति की अनुशंषाओं की क्रियान्विति के लिये गठित उच्चस्तरीय विभागीय समिति की समय–समय पर रखी गई बैठकों में मद्य संयम नियन्त्रण हेतु लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की गई है तथा राज्य स्तरीय समिति की त्रैमासिक समीक्षा बैठक भी आयोजित की जा रही है।

(v) भारत सरकार वित्त मंत्रालय के एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 के आदेश 3 धारा 74 के तहत् जारी आदेशों के क्रम में राज्य सरकार ने दिनांक 01.04.2016 से मानव उपभोग के लिए अनुमत नहीं होने से डोडा पोस्त के सेवन को बन्द कर दिया है। राज्य में पूर्व के परमिटधारी डोडा पोस्त के सेवन के आदी व्यक्तियों की नशे की लत छुड़वाने हेतु चिकित्सा विभाग एवं आबकारी विभाग के संयुक्त तत्वावधान में नशामुक्ति शिविरों (नया सवेरा) का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य में गत वर्ष 2017–18 में 44 नशा मुक्ति शिविर आयोजित कर 2769 व्यसनियों को लाभान्वित किया गया है।

4.4. आबकारी राजस्व संग्रहण पर प्रशासनिक व्यय :-

आबकारी विभाग द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में प्रशासनिक व्यय 2 प्रतिशत से भी कम है। विगत 03 वर्षो में प्रशासनिक व्यय का अर्जित राजस्व पर प्रतिशत निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	वर्ष	वार्षिक राजस्व (राशि करोड़ रू. में)	प्रशासनिक व्यय (राशि करोड. रू. में)	आय पर व्यय का प्रतिशत
1.	2015–2016	6712.94	117.23	1.75
2.	2016–2017	7053.68	131.05	1.86
3.	2017–2018	7275.83	141.82	1.95

4.5 आबकारी नीति 2018-19

वर्ष 2018-19 के लिए निर्धारित आबकारी नीति मुख्य रूप से निम्न लिखित उद्देश्यों से प्रेरित रही है :-

4.5.1 ग्राहकों की मांग के अनुसार उचित कीमत पर अच्छी गुणवत्ता एवं स्वास्थ्य के लिए कम हानिप्रद मदिरा को उपभोक्ताओं के लिये उपलब्ध करवाना।

4.5.2 मदिरा व्यवसाय को संयमित ढंग से संचालित कराते हुए राज्य की आय को सुनिश्चित करना।

4.5.3 राज्य में अवैध रूप से (विशेषकर हरियाणा, पंजाब, चण्डीगढ़ एवं मध्यप्रदेश आदि पड़ौसी राज्यों) लाई जाकर अनाधिकृत रूप से राज्य में विक्रय की जाने वाली मदिरा पर प्रभावी निरोधात्मक गतिविधियों के माध्यम से रोक / अंकुश लगाना

4.5.4 राज्य में अवैध रूप से निर्मित की जाने वाली हथकड़ मदिरा निर्माण को रोककर शराब दुःखान्तिकाओं पर रोक लगाना।

4.6 अन्य प्रमुख बिन्दु :-

4.6.1 उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर वैध भा0नि0वि0 मदिरा / बीयर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2005–06 की आबकारी नीति के अन्तर्गत **''राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड''** का गठन किया गया था। उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुये मदिरा के पात्रों पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित किया गया था। अब सीधे ही मदिरा निर्माता इकाई से प्राप्त कर जिला मुख्यालय पर स्थित 40 (चालीस) **''राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड''** के गोदामों पर पहुंचाया जाता है। यही व्यवस्था वर्ष 2011–2012 से 2018–19 में जारी है ।

4.6.2 निजी क्षेत्र में स्थित डिस्टलरीज व बोटलिंग प्लाण्टस को भी देशी मदिरा के निर्माण की अनुमति दी गई है, जिसका थोक एवं खुदरा विक्रय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के माध्यम से ही करने का प्रावधान किया गया है।

4.6.3 **वित्तीय वर्ष 2017–18 व 2018–19 की राज्य सरकार की आबकारी एवं मद्यसंयम नीति अनुसार वर्ष 2017–18 के लिये देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा / बीयर दुकानों के आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त कर लॉटरी प्रक्रिया के तहत बन्दोबस्त किया गया है तथा वर्ष 2018–19 के लिये वर्ष 2017–18 के अनुज्ञाधारियो को स्वीकृत अनुज्ञापत्र का निर्धारित शर्तो के अध्ययधीन नवीनीकरण का विकल्प दिया गया। जो विभाग की विशेष उपलब्धि रही है एवं भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किया गया है।**

4.6.4 वित्तीय वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा दुकानों की संख्या 6640 एवं भा0नि0वि0मदिरा / बीयर दुकानों की संख्या 1000 यथावत रखी गई।

4.6.5 वर्ष 2018–19 में देशी मदिरा की निर्धारित पूरी वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का मदिरा उठाव में भराव देने की व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति यथावत रखी गई है।

4.6.6 वर्ष 2018—19 में मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि0 का अधिकतम 41 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लाण्ट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 59 प्रतिशत होगा, परन्तु इसमें से निजी बोटलिंग प्लाण्ट का 12 प्रतिशत हिस्सा रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

4.6.7 राज्य में स्थापित विभिन्न डिस्टलरीज/ब्रेवरीज के मैटिरियल आपूर्ति, उत्पादन, भण्डारण एवं निर्गम व्यवस्था के सम्बन्ध में मॉड्यूल्स तैयार किये जाकर इन्हें ऑनलाईन किया जाकर इनके उत्पादन एवं आपूर्ति व्यवस्था की पूर्ण ऑनलाईन मोनेटरिंग की गई है।

4.7 आबकारी कर ढांचे को सुसंगत एवं विवेकीकृत किया जाना –

आबकारी कर ढाँचे के प्रमुख बिन्दू निम्नानुसार हैं :-

4.7.1 वर्ष 2018—19 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर निर्माता इकाई द्वारा प्रति कार्टन (Q.P.N.) ई.डी.पी. पर घोषित मूल्य जिसे राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्वीकार किया जाता है, पर आबकारी शुल्क वर्ष 2017—18 के अनुसार ही 2018—19 हेतु यथावत रखा गया है, जो निम्नानुसार देय है :—

Excise Duty (2018-19)	
(i) Indian made foreign liquor/ spirit (including heritage liquor) having price per carton of quart, pints, nips or other packing size as declared by manufacturers and as accepted by Rajasthan State Beverages Corporation Limited	
(a) upto Rs.550	Rs. 120+(0.17xEx-distillery price) per London proof liter (LPL) or Rs. 195 per LPL, Whichever is higher.
(b) above Rs. 550/-but up to Rs.700	Rs. 109+(0.24x Ex-distillery price) per LPL
(c) above Rs.700/- but up to Rs. 900	Rs. 225+(0.08 x Ex-distillery price) per LPL
(d) above Rs.900/- but up to Rs.1100	Rs. 237+(0.07 x Ex-distillery price) per LPL
(e) above Rs.1100/- but up to Rs.1300	Rs. 264+(0.05 x Ex-distillery price) per LPL
(f) above Rs.1300/- but up to Rs.1500	Rs. 293+(0.03 x Ex-distillery price) per LPL
(g) above Rs.1500/- but up to Rs.3000	Rs. 400 per LPL
(h) above Rs.3000/- but up to Rs. 8000	Rs. 500 per LPL
(i) above Rs.8000/- but up to Rs.10000	35% ad-Valorem or Rs. 500 per LPL, Whichever is higher.
(j) above Rs. 10000/- but up to Rs.25000	40% ad-Valorem
(k) above Rs.25000/- but up to Rs. 50000	45% ad-Valorem
(l) above Rs. 50000/-	50% ad-Valorem

4.7.2 वर्ष 2018—19 में बीयर पर आबकारी शुल्क की दर वर्ष 2017—18 के अनुसार 156 प्रतिशत एड—वेलोरम यथावत रखा गया है।

4.7.3 वर्ष 2018—19 में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क 10 प्रतिशत को यथावत रखा गया।

4.7.4 दिनांक 01.04.2017 से देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क रू. 130/— प्रति एल0 पी0 लीटर किया गया है।

4.7.5 भारत में निर्मित वाईन एवं आर.टी.डी. पर आबकारी शुल्क निम्नानुसार देय है :—

1	Wine or RTD (Imported from outside of the State)	40% ad-valorem of Ex-winery price/Ex-Distillery Price as accepted by Rajasthan State Beverages Corporation Limited.
2	Wine or RTD (Manufactured in Wineries situated in the State)	4% ad -valorem of Ex -winery price/Ex-Distillery Price as accepted by Rajasthan State Beverages Corporation Limited.

4.7.6 देशी मदिरा की समूहवार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली यथावत रखी गई। वर्ष 2018–19 की समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित किये जाने हेतु वर्ष 2017–18 की वार्षिक राशि में वर्ष 2017–18 के प्रथम 09 माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि से अतिरिक्त उठाव की प्रतिशत वृद्धि को इसमें शामिल की जाकर, प्राप्त राशि में 15 प्रतिशत की सामान्य वार्षिक वृद्धि करके की गई है। जिस समूह में वर्ष 2017–18 के प्रथम 9 माह में निर्धारित राशि से अतिरिक्त उठाव नही हुआ है अथवा वास्तविक उठाव निर्धारित राशि से कम है तो ऐसे समूह की वर्ष 2018–19 की वार्षिक राशि की गणना वर्ष 2017–18 की वार्षिक राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर निर्धारित की गई है।

4.7.7 भा0नि0वि0मदिरा पर बोटलिंग फीस की दर स्वयं के निर्माण व फ्रैन्चाईज व्यवस्था में निर्माण दोनों के लिये रूपये 5.00/–प्रति बल्क लीटर एवम् बीयर की स्वयं की ब्राण्ड पर रू. 3.00 व फ्रैन्चाईज व्यवस्था में निर्माण पर रू. 4.00 प्रति बल्क लीटर को यथावत रखा गया है।

4.7.8 देशी मदिरा पर बोटलिंग फीस की दर राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स एवं निजी क्षेत्र के लिये रूपये 5.00 प्रति बल्क लीटर को यथावत रखा गया है।

4.7.9 राज्य के बाहर से आयात किये जाने वाले ई.एन.ए. पर ब्रिगिंग इन टू परमिट फीस की दर को बढ़ाकर रू. 5/–प्रति बल्क लीटर निर्धारित की गई है। राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. के लिये यह व्यवस्था पूर्वानुसार रखी गई है।

4.7.10 राज्य की निर्माण इकाईयों की वार्षिक लाईसेन्स फीस को उत्पादन क्षमता के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर)	वार्षिक लाईसेन्स फीस (लाख रूपये में)
डिस्टलरी (प्रतिदिन)	30 तक	25.00
	30 से अधिक एवं 50 तक	30.00
	50 से अधिक एवं 75 तक	35.00
	75 से अधिक	40.00
ब्रेवरी (प्रतिवर्ष)	30 हजार तक	20.00
	30 हजार से अधिक एवं 50 तक	25.00
	50 हजार से अधिक एवं 75 तक	35.00
	75 हजार से अधिक	40.00
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई	2.00
	भारत निमित विदेशी मदिरा. भराई	6.50

4.8 उत्पादन एवं विपणन इकाईयाँ –

राज्य में देशी मदिरा/भा0नि0वि0मदिरा/बीयर एवं भांग से संबंधित निर्माण एवं विपणन इकाइयाँ निम्नानुसार कार्यरत हैं :–

4.8.1 निर्माण इकाईयाँ –

1	डिस्टलरीज (Distilleries)	10
2	ब्रेवरी (Brewery)	09
3	देशी मदिरा भराई केन्द्र (RSGSM)	20
4	भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं देशी मदिरा निजी क्षेत्र बोटलिंग प्लांट (Bottling Plant)	21
6	आर.एस.जी.एस.एम. द्वारा संचालित हेरिटेज मदिरा प्लांट	01
7	वाईनरी प्लांट	01

4.8.2 विपणन इकाईयाँ :–

1	थोक डिपो भा0नि0वि0मदिरा/बीयर (राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कोर्पोरेशन लि0)	40
2	देशी मदिरा खुदरा दुकान	6640
3	भा0नि0वि0मदिरा/बीयर खुदरा दुकानें	1000
4	भांग खुदरा दुकानें	787

4.8.3 विभिन्न स्वीकृत एवं संचालित बार अनुज्ञापत्र :– (दिसम्बर 2018 तक)

क	लग्जरी होटल बार (68) + ट्रेन RTDC (01) सहित	69
ख	हेरिटेज होटल बार (77) + होटल RTDC (22) सहित	99
ग	अन्य होटल बार	527
घ	क्लब बार	22
ड	रेस्टोरेन्ट बार	215
	योग	932

4.9 विभिन्न आबकारी पदार्थों का उठाव/निर्गम :–

विगत तीन वर्षों तथा इस वर्ष माह दिसम्बर, 2018 तक विभिन्न आबकारी पदार्थो का उठाव/ निर्गम निम्नानुसार रहा हैं :–

(मात्रा लाख बल्क लीटर में)

वर्ष	देशी मदिरा	भा0नि0वि0मदिरा	बीयर
2015–16	2184.43	912.42	1938.66
2016–17	2344.93	865.42	1953.40
2017–18	2571.17	924.85	2230.21
2018–19 (माह दिसम्बर 18 तक)	2068.97	740.82	1867.38

4.10 न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :-

4.10.1 आबकारी मुख्यालय पर एक विधि प्रकोष्ठ गठित होकर मुख्यालय पर इस प्रकोष्ठ में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	स्वीकृत पद	पदों की संख्या	कार्यरत	रिक्त
1	वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी	1	कार्यरत	–
2	संयुक्त विधि परामर्शी	1	–	रिक्त (नोट :– श्री इन्द्र प्रकाश जैन सेवा निवृति पश्चात् नियोजित हैं ।)
3	उप विधि परामर्शी	1	–	रिक्त
4	नोट :– आबकारी निरोधक दल, मुख्यालय के लिए एक वरिष्ठ विधि अधिकारी का पद स्वीकृत हैं, जिनकी सेवाएँ भी मुख्यालय स्तर पर गठित विधि–प्रकोष्ठ में ली जा रही हैं ।			

विधि प्रकोष्ठ द्वारा विधि विभाग के निर्देशानुसार विधिक मामलों में दिन प्रति दिन के विधिक मामलों में विधिक परामर्श के कार्य के अलावा विभाग की ओर से एवं विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले विभिन्न वादकरण (वाद, अपील, रिट, एस.एल.पी. इत्यादि) में प्रभारी अधिकारी नियुक्त करना, प्रभारी अधिकारी को समय–समय पर विभागीय कार्य निर्देशों के अनुसार निर्देश देने एवं मामलों में निर्णय पारित होने पर विभागीय समिति में विचारार्थ रखवा कर अपील नो अपील का निर्णय करवा कर निर्णयानुसार अपील/एस.एल.पी. या निर्णय की पालना जैसी भी स्थिति हो, कार्य किया जाता हैं । न्याय विभाग की लाईट्स वेबसाईट पर प्रधान कार्यालय स्तर से न्यायिक प्रकरणों के इन्द्राज के पश्चात् प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के बाद आगे लाईट्स पर अपडेशन का कार्य संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित हैं तथापि पूर्णता की दृष्टि से एक सूचना सहायक के पद का विधि–प्रकोष्ठ में पद सृजन एवं नियोजन की कार्यवाही जारी हैं ।

4.10.2 दिनांक 31.12.2018 को विभाग में विचाराधीन मामलों की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय								
		सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय		राज.सिविल सेवा अपील अधिकरण		अधीनस्थ न्यायालय	राज. कर बोर्ड	अन्य राज्य की उच्च न्यायालय	योग
		नई दिल्ली	जयपुर	जोधपुर	जयपुर	जोधपुर				
1	विचाराधीन	8	273	308	18	4	132	36	2	781
2	जवाब से शेष प्रकरण	0	7	3	0	0	2	0	0	12
3	निर्णय की अनुपालना से शेष प्रकरण	0	2	5	0	0	0	2	0	9
4	अवमानना	0	0	0	1	0	0	0	0	1

5. विशेष पहल, उपलब्धियॉ एवं नवाचार (New Initiatives / Innovations)

5.1 **ई–गवर्नेन्स (e-governance)** – आबकारी विभाग में कम्प्यूटराईजेशन का कार्य राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी नीति के तहत वृहद स्तर पर मई, 2002 से प्रारम्भ किया गया है। इसके तहत उपलब्ध हार्डवेयर के बेहतर उपयोग एवं आँकड़ों के सुचारू संकलन, सूचनाओं के आदान–प्रदान एवं विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियों यथा परमिट जारी करने आदि कार्य को कम्प्यूटर द्वारा ही किये जाने की आवश्यकता के मद्देनजर किराया क्रय पद्धति पर एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर **https://rajexcise.gov.in** का निर्माण करवाया गया है एवं आवश्यक हार्डवेयर प्राप्त किया गया है। समस्त जिला कार्यालयों को कम्प्यूटर सिस्टम मय इन्टरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाये गये है। अक्टूबर, 2002 से समस्त जिला कार्यालयों द्वारा उक्त सॉफ्टवेयर पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्तमान में समस्त जिला कार्यालयों से देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी (भा॰नि॰वि॰) मदिरा, बीयर, आर॰एस॰बी॰सी॰एल॰ डिपो, आर॰एस॰जी॰एस॰एम॰ डिपो, सी॰एस॰डी॰ एवं भांग के डिपो तथा रिटेल शॉप हेतु परमिटों को ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किया जा रहा है। विभागीय सूचनाओं पत्रादि के प्रेषण में ई–मेल का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है। इससे मुख्यालय एवं अन्य सम्भागीय कार्यालयों से विभिन्न सूचनाएं, संकलित आंकड़े आदि त्वरित एवं सही प्रारूप में प्राप्त हो रहे है। राजस्व सम्बन्धित कार्यो के अतिरिक्त विभाग के संस्थापन, विधिक एवं निरोधक दल से सम्बन्धित कार्यो आदि में भी कम्प्यूटर के उपयोग में विस्तार किया जा रहा है जिससें अधिकारियों / कर्मचारियों की संस्थापन, से सम्बन्धित समस्त प्रकार की सूचनाओं का बेहतर संधारण / उपयोग किया जा सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण विभागीय कार्य तथा सूचना के आदान–प्रदान त्वरित गति से सम्पादित हो रहे हैं एवं प्रणाली में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

आबकारी विभाग, राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड़ (आर॰एस॰बी॰सी॰एल॰) तथा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ (आर॰एस॰जी॰एस॰एम॰) तीनों मुख्यतः मदिरा व्यवसाय के विनियमितीकरण, उत्पादन एवं वितरण में लगे हुये है। तीनों निकायों की गतिविधियॉ एक जैसी होने से इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर https://rajexcise.gov.in तैयार करवा कर 5 वर्ष तक इसको चालू रखने का ठेका निजी फर्म को प्रदत्त है। जिसकी अनुमानित लागत रूपया 1.49 करोड़ प्रतिवर्ष है। इस संबंध में राजस्थान स्टेट ब्रेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मैसर्स ई–कनेक्ट सॉल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, उदयपुर से अनुबन्ध किया हुआ है। इस क्रम में फर्म द्वारा आबकारी विभाग की परिचालन (Operational) संबंधित गतिविधियों के विभिन्न मॉड्यूल्स तैयार किये जाकर वर्तमान में व्यवहार में लाये जा रहे हैं :–

- **स्प्रिरिट मॉड्यूल** – इसके अन्तर्गत राज्य में स्थित डिस्टलरी एवं बोटलिंग प्लान्टस के आवेदक (यूनिट) द्वारा प्रासव अनुमति विभागीय वेबसाईट में ऑनलाईन आवेदन करने पर प्रासव की स्वीकृति मुख्यालय से त्वरित गति से प्राप्त हो जाती है। इस स्वीकृति को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों में डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किया जा रहा है जो कि सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के अन्तर्गत मान्य है।
- **राजस्व संग्रहण ई-ग्रास द्वारा** – आई॰एफ॰एम॰एस॰ के अन्तगर्गत ई–ग्रास के माध्यम से ऑनलाईन राजस्व का एकत्रीकरण माह जनवरी, 2013 से ही राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत नेट–बैंकिंग (Net-Banking) के माध्यम से एवं चालान के माध्यम से ऑनलाईन राजस्व संग्रहण किया जा रहा है। ई–ग्रास के माध्यम से राजस्व संग्रहण होने से अनुज्ञाधारियों को बहुत सुविधा हुई है। राजस्व संग्रहण में शीघ्रता एवं पारदर्शिता होने से राजस्व जमाकर्ता को त्वरित सेवा प्रदान की जा रही है। इससे विभाग की कार्यकुशलता में वृद्वि हुई है।
- **लाईसेन्स स्टॉक मेनेजमेन्ट** – शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के रिटेल ऑफ / रिटेल ऑन / देशी मदिरा / कम्पोजिट शॉप अनुज्ञाधारियों को विभागीय वेबसाइट पर देशी मदिरा / भा॰नि॰वि॰मदिरा / बीयर / वाईन इत्यादि के प्रत्येक दिन की स्टॉक की स्थिति अगले दिन विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।
- **ऑनलाईन क्राईम (एफ०आई०आर०) मॉड्यूल** – इसके अन्तर्गत समस्त प्रकार के अभियोगों की प्रविष्टि आबकारी एवं ई॰पी॰एफ॰ कार्यालयों द्वारा प्रतिदिन की जा रही है।
- **ऑनलाईन परिवाद (शिकायत) निस्तारण मॉड्यूल** – विभाग की वेबसाईट एवं नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त होने वाले परिवादों को ऑनलाईन क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रेषित किया जाकर निराकरण करवाया जाता है तथा शिकायतकर्ताओं को भी इसकी सूचना सीधे ही प्राप्त होती है।
- **चालानों का ऑनलाईन जनरेशन** – विदेशी तथा देशी मदिरा के खुदरा व्यापारियों द्वारा मदिरा खरीदने के लिए RSBCL तथा RSGSM में राशि जमा कराने के लिए ऑनलाईन चालान बनाये जाकर राशि जमा करवाई जा रही है।

- **डिस्टलरी मेनेजमेन्ट एवं स्प्रिरिट मॉड्यूल** – विभागीय सॉफ्टवेयर में डिस्टलरीज/ बोटलिंग प्लान्ट द्वारा कच्चा माल मंगवाने से लेकर तैयार मदिरा उत्पादन से निर्गम तक की सूचनाएं एवं स्प्रिरिट की उत्पादन, प्राप्ति, खपत, निर्गम व शेष की सम्पूर्ण सूचना इस मॉड्यूल से शासित व विनियमित की जा रही है।
- **ब्रेवरीज मेनेजमेन्ट मॉड्यूल** – विभागीय सॉफ्टवेयर में ब्रेवरीज प्लान्ट द्वारा कच्चा माल मंगवाने से लेकर तैयार बीयर उत्पादन से निर्गम तक की सूचनाएं एवं उत्पादन, प्राप्ति, खपत, निर्गम व शेष की सम्पूर्ण सूचना इस मॉड्यूल से शासित व विनियमित की जा रही है।
- **कार्पोरेशन परमिट मॉड्यूल** – इस मॉड्यूल के तहत विभिन्न प्रकार की मदिरा/ बीयर/स्प्रिरिट के परमिट जिला आबकारी अधिकारियों (एफ.एल.–5) या निर्माण ईकाईयों पर पदस्थापित अधिकारियों द्वारा (एफ.एल.–6) टी.पी. के रूप में जारी किये जाते है। इन परमिटों के आधार पर ही मदिरा का निर्गम एवं परिवहन हो सकता है। अब यह कार्य मेन्युअल न किया जाकर ऑनलाईन/कम्प्यूटर द्वारा ही किया जा रहा है।
- **सी०एस०डी० परमिट** – सी.एस.डी. एवं आबकारी शुल्क में छूट प्राप्त संस्थानों को दी जाने वाली मदिरा पर आबकारी शुल्क/ई.डी.पी. में छूट की गणना व उसके निर्धारण का कार्य भी ऑनलाईन किया जा रहा है।
- **भारत निर्मित विदेशी मदिरा के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त परमिट जारी किया जाना** – विभाग में जारी होने वाले भारत निर्मित विदेशी मदिरा के परमिट अब डिजिटली हस्ताक्षरयुक्त होकर सम्बन्धित उत्पादन इकाई को प्रेषित किये जा रहे है।
- **देशी मदिरा मॉड्यूल** – विभाग में देशी मदिरा निर्गम प्रणाली के अन्तर्गत यूनिट से बॉण्ड को निर्गम होने वाली देशी मदिरा के परमिटों को भी ऑनलाईन किया जा चुका है। साथ ही बॉण्ड से रिटेलर को जारी होने वाले ऑनलाईन परमिट भी दिनांक 01.10.2015 से प्रारम्भ किए जा चुके हैं। निर्माता इकाईयों के लिए ओ.एफ.एस. प्रणाली को भी दिनांक 01.12.2015 से लागू कर दिया गया है, इसके अर्न्तगत निर्माता इकाईयों द्वारा ओ.एफ.एस. लेने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा रहा है। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात् परमिट को इससे लिंक कर देशी मदिरा निर्गम की स्वीकृति भी ऑनलाईन जारी की जा रही है।
- **ऑनलाईन लेब मॉड्यूल** – आबकारी विभाग की वर्तमान में कार्यरत लेब जो कि जयपुर, उदयपुर, अजमेंर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर जोन कार्यालयों पर स्थित है, पर ऑनलाईन क्वालिटी कन्ट्रोल तथा अभियोग के अन्तर्गत लिये गये सेम्पलों की जॉच की जाकर ऑनलाईन सेम्पल रिर्पोट उपलब्ध करवायी जाती है। यह मॉड्यूल 17.05.2017 से लागू कर दिया गया है।
- **ऑनलाईन ओकेजनल परमिट** – समस्त जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों द्वारा जन्मदिवस, शादी व पार्टी तथा अन्य समारोह में कोकटेल पार्टियों हेतु एक दिवसीय ऑनलाईन ओकेजनल परमिट जारी किये जा रहे है। यह मॉड्यूल 01.09.2017 से लागू कर दिया गया है।
- **ऑनलाईन होटल-क्लब/रेस्टोरेन्ट बार** – समस्त जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों द्वारा दिनांक 31.10.2017 से ऑनलाईन ही होटल–क्लब/रेस्टोरेन्ट बार के आवेदन स्वीकृत किये जाकर उन्हें ऑनलाईन ही बार हेतु लाईसेंस जारी किये जा रहे हैं।
- **ऑनलाईन ट्रांसपोर्ट परमिट वैद्यता अवधि** – निर्माण इकाईयों से RSBCL तथा **RSGSM** के डिपो पर मदिरा परिवहन के लिए जारी किये जा रहे ट्रांसपोर्ट परमिट **(TP)** की वैद्यता अवधि विस्तार के प्रकरण भी ऑनलाईन ही स्वीकार कर निस्तारित किये जाते हैं।
- **वाहन की नीलामी** – विभाग द्वारा जब्त वाहनों की नीलामी MSTC Corporation (भारत सरकार का उपक्रम) की वैबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रारम्भ कर दी गई है।
- **टोल फ्री दूरभाष नम्बर** – विभाग से सम्बन्धित परिवादों के लिए एक 24X7 नियन्त्रण कक्ष सहित टोल फ्री दूरभाष नं0 1800 180 6436 भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
- **एस०एम०एस०** – विभागीय ऑनलाईन सॉफ्टवेयर में एस.एम.एस. की सुविधा के अन्तर्गत मदिरा के उठाव, राजस्व की सूचना एवं स्प्रिट ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी/अतिरिक्त आबकारी आयुक्त जोन/अतिरिक्त आयुक्त नीति एवं आबकारी आयुक्त को नियमित रूप से उनके स्तर पर बकाया स्वीकृति की सूचना मोबाईल पर सर्वर द्वारा स्वतः ही प्रेषित हो जाती है।

संक्षेप सारांश –

आबकारी विभाग का मुख्य उद्देश्य अवैध मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करते हुये उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त मानव उपयोगी मादक पदार्थ उपलब्ध कराना है। राजस्थान राज्य की सम्पूर्ण कर–राजस्व प्राप्तियों में आबकारी विभाग का योगदान लगभग 16.00 प्रतिशत होकर यह द्वितीय स्थान पर है। अवैध मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये विभाग का जोनवार मजबूत संगठनात्मक ढांचा है जिसमें आबकारी निरोधक दल विंग भी सम्मिलित है। आबकारी विभाग में स्वीकृत संख्या से काफी अधिक संख्या में फील्ड स्टाफ की कमी होने के बावजूद उपलब्ध संसाधनों एवं स्टाफ से विभाग ने माह दिसम्बर, 18 तक रू. 4911.34 करोड़ का राजस्व अर्जन किया। वित्तीय वर्ष 2018–19 माह दिसम्बर, 18 तक विभाग ने अवैध मदिरा कसीदगी, परिवहन एवं कब्जे के कुल 11447 अभियोग पंजीकृत कर भारी मात्रा में अवैध मदिरा जब्त करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। मदिरा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण मदिरा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध हो सके, इस हेतु विभाग समय–समय पर ''विशेष निरोधात्मक कार्यवाही'' का आयोजन करता रहता है। विभागीय न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है । विभाग के जिलास्तरीय कार्यालय कम्प्यूटर सिस्टम मय इन्टरनेट कनेक्टिविटी से जोड़े गये हैं। समस्त प्रकार के परमिट ऑनलाईन साफ्टवेयर के माध्यम से जारी किये जा रहे हैं। विभागीय सूचनाओं एवं पत्र–व्यवहार में ई–मेल का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। विभागीय राजस्व संग्रहण का कार्य ई–ग्रास द्वारा किया जा रहा है। विभाग की वेबसाईट एवं राज्यस्तरीय नियंत्रण कक्ष पर प्राप्त परिवादों का निस्तारण ऑनलाईन किया जा रहा है। विभाग से संबंधित परिवादों के लिये टोल–फ्री नम्बर 1800 180 6436 सहित 24X12X365 दिन का नियंत्रण कक्ष संचालित किया गया है। विभागीय ऑनलाईन साफ्टवेयर में एस0एम0एस0 की सुविधा के माध्यम से अधिकारियों को दैनिक रूप से बकाया कार्यों की सूचना उनके मोबाईल पर सर्वर द्वारा स्वतः प्रेषण की सुविधा प्रारम्भ की गई है। मदिरा के दैनिक उठाव का तुलनात्मक विवरण आबकारी वृत्त कार्यालयों में उपलब्ध होने से मदिरा के उठाव की दैनिक स्थिति हर समय उपलब्ध रहती है। राज्य सरकार द्वारा विभाग को राजस्व संग्रहण के आवंटित लक्ष्यों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये विभाग तत्पर है। इसके अतिरिक्त मदिरा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये उन्हें गुणवत्तापूर्ण मदिरा, निर्धारित कीमत पर उपलब्ध कराने हेतु कटिबद्ध है। अवैध एवं मदिरा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मदिरा की कसीदगी, भण्डारण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रतिदिन राज्य में राजकीय/राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपलब्ध संसाधनों एवं स्टाफ से पेट्रोलिंग एवं नाकाबन्दी का आयोजन करवाते हुये प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है।

❑❑❑

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER RAJASTHAN UDAIPUR
(EXCISE DEPARTMENTAL TELEPHONE AND MOBILE No. LIST)

S. No.	Name of Officer	Designation	Mobile No.	STD Code	Office	FAX No
1	Sh. Somnath Mishra, I.A.S	Excise Commissioner Udaipur	9414161680	294	2524911	252680
2	Dr. T.R. Agrawal	Financial Advisor	9414159884	294	2528397	2528397
3	Sh. Chhoga Ram Dewasi	Addl. Commissioner (Adm)	9828844404	294	2412274	2412274
4	Sh. Pradeep Singh Sangawat	Addl. Comm. Zone Udaipur	8290911111	294	2523124	2523124
5	Sh. Samarath Mal Sahu	Sr J.L.R.	9413286215	294	2527086	2526801
6	Sh. Vinay Bhati	Dy. F.A.	9414155056	294	2427094	2526801
7	Sh. Kuldeep Baxi (A.Charge)	Dy Commissioner (H.Q.)	9414000821	294	2524308	2526801
8	Sh. Rajesh Kumar	System Analyst (Joint Director)	9414030720	294	2527086	2528397
9	Smt. Rashmi Gupta	Addl. Comm. Jaipur	9414373149	141	2741087	2740829
10	Sh. S.D.Meena (Addl.Charge)	Addl. Comm. Kota	7976844414	744	2364577	2470055
11	Sh. Kailash Chandra Lakhara	Addl. Comm. Ajmer	9414737076	145	2420008	2423516
12	Sh. O.P.Panwar (Addl.Charge)	Addl. Comm., Bikaner	9694009860	151	2530017	2530017
13	Sh. Rajesh Kumar Chouhan	Addl. Comm. Jodhpur	9414084466	291	2650394	2650396
14	Sh Munni Ram Bagadia	Addl. Comm. Bharatpur	9829977198	5644	220325	220325

S. No.	Name of Officer	Designation	Mobile No.	STD Code	Office	FAX No
15	Sh. Bhagwat Singh Rathore	Deo Ajmer	9829234488	145	2970364	2423516
16	Sh. J.P.Ranga	DEO Bhilwara	9414482945	1482	232718	232718
17	Sh. M.S.Shekhawat	DEO Nagour	9414218762	1582	240019	242344
18	Sh. Shiv Singh	DEO Tonk	9829168800	1432	246717	248282
19	Sh. O.P.Panwar	DEO Bikaner	9694009860	151	2200884	2530017
20	Sh. M.S. Saini	DEO Churu	9414447449	1562	250307	250275
21	Sh Amarnath Agrawal	DEO Ganganagar	9461280700	154	2470182	2471045
22	Sh. S.S. Ratnu	DEO Hanumangarh	9414431249	1552	222088	223095
23	Sh. Prakash Chandra Regar	DEO Bharatpur	9414333101	5644	225477	225477
24	Sh. Sanjay Singh Dullar	DEO Dholpur	9462695723	5642	220763	221271
25	Sh. Sanjeev Choudhary	DEO Karauli	9414148835	7464	220271	220287
26	Sh. Aad Ram	DEO Sawai Madhopur	9461714258	7462	222008	222008
27	Mrs. Anju Om Prakash	DEO Alwar	9829241410	144	2732400	2732400
28	Sh. Sanjay Singh Rathore	DEO Distillery Behror (Alwar)	9414297724	1493	-	
29	Sh. Harphool Singh Yadav	DEO Jaipur City	8003260000	141	2743196	2740829
30	Smt Rekha Mathur	DEO Jaipur Rural	9785225772	141	2744580	2740829
31	Smt. Rekha Mathur	DEO (Pros.)	9785225772	141	2740706	2740829
32	Sh. Laxmi Naryana	DEO Dausa	9413345077	1427	221180	230990
33	Sh Bhawani Singh	DEO Jhunjhunu	9413388999	1592	232904	232904
34	Sh. S.N.Pareva	DEO Sikar	9461510141	1572	248650	517762
35	Sh. Richpal Singh Burdak	DEO Jodhpur	9414732101	291	2555324	2650396
36	Sh. Noor Mohammand	DEO (Pros.) Jodhpur	9828891410	291	2650394	2650394
37	Sh. Devendra Dashora	DEO Barmer	9829085875	2982	220427	220427
38	Sh. Vinod Vaishnav	DEO Jalore	9460959351	2973	222543	222207
39	Sh. Buddhi Prakash Meena	DEO Jaisalmer	9414047761	2992	251608	255207

S. No.	Name of Officer	Designation	Mobile No.	STD Code	Office	FAX No
40	Sh. Gamera Ram	DEO Pali	9413163727	2932	256326	257806
41	Sh. Mohan Ram Punia	DEO Sirohi	8829015875	2972	220709	220709
42	Sh. S.D. Meena	DEO Kota	7976844414	744	2365623	5122744
43	Sh. Tapesh Chand Jain	DEO Baran	9414329979	7453	231526	231526
44	Sh. Manoj Bissa	DEO Bundi	8619258121	747	2457249	2444958
45	Sh. R.R.Meena	DEO Jhalawar	9414421577	7432	232651	232651
46	Sh. G.S. Deora	DEO Udaipur	9414153738	294	2427360	2427360
47	Sh. G.S. Rajpurohit	DEO, Distillery Udaipur	7427008335	294	2494342	2492334
48	Sh. Harphool Chandolia	DEO Banswara	9829230998	2962	250560	250560
49	Sh. Vivekanand Sharma	DEO Dungarpur	9829044264	2964	230009	234990
50	Sh. B.B.Chauhan	DEO Chittorgarh	9414437885	1472	241587	241587
51	Sh. Riyajuddin Usmani	DEO Rajsamand	9414406434	2952	221650	223428
52	Sh. Mukesh Devpura	DEO Pratapgarh	9829043810	1478	222330	223135

Plezer - 2085